

ड. ले. 2024/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बेसल

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बेसल व भूअ.नि. खुदाभा
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जाउसी तहसील बाली जिला पाली
की जमाबन्दी सम्वत् 2073-10-2076 में खाता संख्या 44 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जाउसी	44	अशुद्ध प्रविष्टि 1. लीमठिह फिरोजपुर 2. लीमठिह जो किमठिह 3. लीमठिह दशुकेकर 4. लीमठिह अदनकेकर 5. लीमठिह वल्मकेकर 6. लीमठिह जाउसी राजपुर ल. फालक	अशुद्ध प्रविष्टि 1. लीमठिह फिरोजपुर 2. लीमठिह जो किमठिह 3. लीमठिह दशुकेकर 4. लीमठिह अदनकेकर 5. लीमठिह वल्मकेकर 6. लीमठिह जाउसी राजपुर ल. फालक

बेसल

(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (जिला बाली) एंज.
पदेन सहायक कलक्टर



दिनांक :- 11/1/24

कमांक :- कार/2024/79-82

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पाली रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री अशुद्ध प्रविष्टि 1. लीमठिह को सूचना।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला बाली) राज
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर